न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—467 / 17

01. रामसहाय पुत्र दल्ला,
02. प्रभाती लाल पुत्र दल्ला,
03. श्रवण पुत्र दल्ला,
04. बिरदी बेवा नाथू,
05. मंगल पुत्र नाथू,
06. तीजा बेवा सुण्डा,
07. संजय पुत्र सुण्डाराम,
08. मुकेश पुत्र सुण्डाराम,
09. राहुल पुत्र सुण्डाराम,
10. ओमप्रकाश पुत्र सुण्डाराम,
11. विजय पुत्र सुण्डाराम,
12. रवि पुत्र सुण्डाराम,
13. कैलाशी बेवा गुल्लाराम,
14. पूरण पुत्र गुल्लाराम,
15. रामकरण पुत्र गुल्लाराम,
16. रंगलाल पुत्र गुल्लाराम,
17. मनफूली बेवा रामलाल,
18. गिरधारी पुत्र रामलाल,
19. संदीप पुत्रान रामलाल, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा पोस्ट सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवाना पुत्र जैला उर्फ लक्ष्मीनारायण,
2. सीताराम पुत्र जैला उर्फ लक्ष्मीनारायण,
3. लालचन्द पुत्र जैला उर्फ लक्ष्मीनारायण,
4. छीगन पुत्र जैला उर्फ लक्ष्मीनारायण,
5. मंजू बेवा रमेश,
6. विकास पुत्र रमेश समस्त जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा पोस्ट सेवापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकर जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. नायब तहसीलदार रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 14.02.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 07.12.2017 (प्रकरण संख्या 23 / 2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 188 लगायत 193 कुल किता 6 कुल रकबा 3.04 हैक्टयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 119 रकबा 12 बीघा के भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के मौरूसी आला दल्ला बल्द जोधा थे जो कि खतौनी सम्वत 2010 लगायत 2023 के कॉलम संख्या 4 में अपील अधीन आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात के भी भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार थे तथा मुतदाविया आराजीयात पर कदीमी काल से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग पूर्व में उनके पूर्वज तथा उनकी फौती के पश्चात् अपीलान्ट करते चले आ रहे है, रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वजों का मुतदाविया आराजीयात से कभी कोई सम्बन्ध नही रहा, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज एक ही मौरूसी आला के उत्तराधिकारी रहे है, रेस्पोडेन्ट के पूर्वज विजयलाल पुत्र दुल्ला ने राजस्व भू अभिलेखों मे लैण्ड रिकार्ड अधिकारी के आदेश के बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 5 अपने नाम राजस्व भू अभिलेखों मे नायब तहसीलदार से बिना क्षेत्राधिकार के आधार पर धारा 19 में बिना उप कृषक की हैसियत से तथा बिना किसी काश्त के आधार पर षडयंत्रपूर्वक अपीलार्थीगण का नाम राजस्व भू अभिलेखों में से निरस्त करवाकर अपने नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज करवा लिया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने जानकारी की दिनांक से धारा 5 मियाद अधिनियम तथा धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना क्षेत्राधिकार के नायब तहसीलदार द्वारा धारा 19 का हवाला देते हुए तस्दीक किया गया है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य आदेश है तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार को काश्तकारी अधिनियय 1955 तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात् खातेदारी हक अधिकार प्रदत्त करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है तथा उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में पूर्णरूपेण दर्ज की गई है तथा अपील प्रस्तुत का प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा धारा 5 व धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्रों पर अपीलार्थीगण द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई तथा उभयपक्षकारान की बहस समाहत करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपील के बिना गुणावगुण पर कोई न्यायिक विवेक लगाये ही अपीलार्थीगण अपील धारा 96 जाप्ता दीवानी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण विलम्ब अवधि का दिन–प्रतिदिन का कारण दर्ज नही करने तथा अपील प्रस्तुती बाबत कोई लोकस नही होने के कारण अपीलार्थीगण की अपील धारा 5 व धारा 96 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अवैध आधारों पर विधिक प्रक्रिया के विपरित जाकर खारिज की गई है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय परवर्स आरबीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है

P.T.O.

राजस्व आयुक्त
जयपुर

क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने अपने मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में यह स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि दिनांक 01.10.2015 को अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट के मध्य अन्य आराजीयात बात झगड़ा फसाद काफी समय से चलने पर विभिन्न न्यायालयों में फौजदारी व राजस्व मुकदमें दाखिल हुऐ थे के बाबत उक्त दिनांक को झगड़ा होने पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण को अपील अधीन आराजीयात लम्बी पाटी वाला खेत खुद के नाम राजस्व अभिलखों में दर्ज होने के कथनादि दर्ज किये गये तथा मौका पाकर बेदखल करने की धमकी भी दी गई, जिस अपीलार्थीगण ने राजस्व भू अभिलेखों की तहकीकात व जानकारी की तो उनके नाम राजस्व अभिलखें दर्ज होने कथनादि की जानकारी हुई, दर्ज कथनादि की जानकारी होने पर दिनांक 14.01.2016 को प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण व अन्य राजस्व भू अभिलेखों की नकलें प्राप्त की गई किन्तु उक्त नकल साफ नही होने से पढ़ने में नही आने पर अपीलार्थीगण ने पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2016 को प्रस्तुत कर दिनांक 27.01.2016 को पुनः नकल प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रमाणित प्रतिलेपि प्राप्त करने की दिनांक से प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थीगण ने बखुबी रूप से अपने मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को साबित किया तथा निवेदन किया कि ऐसे क्षेत्राधिकार विहिन आदेश की अन्यथा भी कोई मियाद कानून मे प्रदत्त नही है इसलिये क्षेत्राधिकार विहिन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर केवल मात्र तकनिकी बिन्दु के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील को खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.12.2017 निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 23/2016 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.12.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 29.04.1960 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाधीन आराजीयात अपीलार्थीगण के नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने सहायक कलक्टर आमेर के न्यायालय में एक वाद संख्या 7/16 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 5/16 बउनवानी रामसहाय बनाम भगवाना सहाय दिनांक 14.01.2016 को प्रस्तुत किया हुआ है जिसके चलते अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है क्योंकि पक्षकारान के अधिकार तो वाद में ही तय होंगे इस प्रकार अपील से लिटीगेशन को बढ़ावा ही मिलता है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को बिना अधिकार प्राप्त किये ही अपील प्रस्तुत की गई जो अपीलान्ट के लोकस को स्टेण्ड नही करती है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा वर्ष 1960 में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध 56 वर्ष बाद बिना किसी प्रयाप्त आधार के मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से तथा बिना किसी

P.T.O.

कब्जा काश्त के अपील पेश की गई थी, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी की कोई उचित आधार नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.12.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरामाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि नामान्तरकरण संख्या 5 वाके ग्राम रामपुरा पर पारित आदेश दिनांक 29.04. 1960 के विरूद्ध लगभग 56 बाद वर्ष 2016 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई तथा अपीलार्थीगण द्वारा उक्त असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष किसी प्रकार के कोई ठोस तथ्य व कारण प्रस्तुत नही किये गये है जिससे कि इतने लम्बे विलम्ब को कण्डोन किया जा सके तथा उभयपक्ष के मध्य सक्षम न्यायालय में नियमित वाद भी विचाराधीन है जिसमें उनके हक, हकूक, अधिकार तय होने अभी बाकी है, नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय नही होते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.12. 2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।